

सूबे में विद्यालय सहायकों की बहाली भी पंचायते करेंगी

पटना। राज्य के स्कूलों में अब विद्यालय सहायक की बहाली भी पंचायतों के माध्यम से होगी। सरकार ने पुराने लिपिक संवर्ग के पदों को मरणशील (सम्पन्न) घोषित कर दिया है। साथ ही 1172 लिपिक के पदों को प्रस्तावित (संरक्षित) करते हुए विद्यालय सहायक की उन्नती की संख्या में पद सुनिश्चित किया है।

शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने यह जानकारी मंत्रालय को विधान परिषद में दी। मंत्री श्री. संजय कुमार सिंह के उत्प्रेरित प्रश्न का जवाब दे रहे थे। मंत्री ने कहा कि राजकीयकृत उच्च माध्यमिक, विद्यालयों और प्रोजेक्ट कक्षा माध्यमिक- ठीक माध्यमिक विद्यालयों के लिपिक संवर्ग के पद को

तत्काल प्रभाव से मरणशील घोषित कर रिक्त पदों को क्रमिक रूप से प्रस्तावित मानते हुए विद्यालय सहायक के पद का भुजन किया गया है। उन पदों पर पंचायती राज एवं नगर निकाय संस्थाओं के माध्यम से नियोजन की स्वीकृति दी गई है। कुल रिक्त पदों के 50 प्रतिशत पर अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति का प्रावधान किया गया है।

निदेशालय से लिपिको-परिचारी (आदेशपाल) के रिक्त पदों की संख्या जिला से प्राप्त की गई। प्रतिवेदन के अनुसार लिपिक के कुल 1172 पदों को मरणशील घोषित कर प्रस्तावित करते हुए विद्यालय सहायक के कुल 1172 पद सुनिश्चित किए गए हैं।